

मध्य प्रदेश  
पंचायत राज अधिनियम, 1993  
के  
मुख्य प्रावधान

दस्यता

टिंग

एकता परिषद, मध्य प्रदेश  
के लिए

पापुलर एड्यूकेशन एण्ड एक्शन सेन्टर  
नई दिल्ली  
द्वारा तैयार

वार्षिक भी

एवं अमन ग्राफिक्स, एल.5ए शेख़ सराय, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

## **ग्राम सभा**

### **दस्यता**

- ग्राम सभा के सभी बालिंग लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

### **मीटिंग**

- (i) ग्राम सभा का प्रतिवर्ष कम से कम एक मीटिंग किया जाएगा। [धारा 6 (1)]
- (ii) ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई ( $1/3$ ) सदस्यों द्वारा लिखित मांग करने पर ग्राम सभा मीटिंग 30 दिन के भीतर बुलाया जाएगा। [धारा 6 (1)]
- (iii) जनपद पंचायत, जिला परिषद या कलेक्टर द्वारा अपेक्षा किए जाने पर भी ग्राम सभा मीटिंग 30 दिन के अन्दर बुलाया जाएगा। [धारा 6 (1)]

### **वार्षिक मीटिंग**

- प्रति वर्ष ग्राम सभा मीटिंग आगामी वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम तीन मास पहले किया जाएगा और ग्राम पंचायत ऐसे मीटिंग के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज पेश करेगी : [धारा 7 (1)]
  - (i) लेखाओं का वार्षिक विवरण
  - (ii) पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासन रिपोर्ट
  - (iii) अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों व अन्य कार्यों का व्योरा
  - (iv) पिछले मीटिंग में उठे मसले
  - (v) कोई अन्य विषय जिसे जनपद पंचायत, जिला परिषद, कलेक्टर या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे मीटिंग के सामने रखने की अपेक्षा करे।

## मीटिंग की अध्यक्षता

- मीटिंग की अध्यक्षता सरपंच द्वारा या उसकी अनुपरिथिति में उप सरपंच द्वारा की जाएगी। इन दोनों की अनुपरिथिति में मीटिंग में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रायोजन हेतु निर्वाचित सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। [धारा 6 (4)]

## अधिकार

- (i) ग्राम सभा को स्वतंत्रता होगी कि वह ऊपर लिखे समस्त या कुछ विषयों पर चर्चा करे। [धारा 7 (2)]
- (ii) ग्राम सभा द्वारा दिये गए सुझावों पर [यदि कोई हो] ग्राम पंचायत विचार करेगी। [धारा 7 (2)]

**नोट:** [धारा 7 (2)] ग्राम सभा को एक परामर्शदाता के रूप में सीमित कर देती है। उसके निर्णयों के प्रति पंचायत को संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं करती। साथ ही यह धारा वार्षिक मीटिंग के लिए प्रस्तावित सभी विषयों पर चर्चा करने से बचने के लिए चोर दरवाजा भी प्रदान करती है।

ग

ग

रा

ते

त

य

।

ह

र

र

र

५

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

।

## गठन

### ग्राम पंचायत

- प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित से मिलाकर गठित होगी :
  - (i) वार्डों से निर्वाचित पंच तथा सरपंच [धारा 13 (1)]
  - (ii) यदि निर्वाचित पंचों में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समिति का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है तो ग्राम पंचायत ऐसी सहकारी समिति के एक ऐसे सदस्य को शामिल करेगा जो ग्राम पंचायत का पंच होने की योग्यता रखता है; [धारा 13 (7)]
  - (iii) उस दशा में जबकि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कम होने के कारण स्थानों का आरक्षण संभव नहीं है और निर्वाचित पंचों में इस श्रेणी का पंच पहले से सम्मिलित नहीं है और अनुसूचित जाति व जनजाति की संयुक्त जनसंख्या पांच प्रतिशत है, ग्राम पंचायत इस श्रेणी के किसी एक ऐसी व्यक्ति को शामिल करेगी जो पंच होने की योग्यता रखता हो। [धारा 13 (6)]

**नोट:** सहकारी समिति अथवा अनुसूचित जाति व जनजाति के रूप में शामिल पंच ऐसे एक से अधिक हित का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अर्थात् किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति का है और सहकारी समिति

का सदस्य भी है, शामिल कर दोनों स्थानों को भरा हुआ नहीं माना जा सकता। [धारा 13 (3)]

**शामिल करने की प्रक्रिया ●**

अपेक्षित पंचों के शामिल करने के प्रायोजन से, यदि आवश्यकता हो तो प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र, विहित प्राधिकारी ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों की मीटिंग बुलायेगा। [धारा 16]

**कार्यकाल**

- ग्राम पंचायत का प्रथम मीटिंग गजट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर किया जायेगा। [धारा 20(1)]

ग्राम पंचायत के पदाधिकारी प्रथम मीटिंग की तारीख से पांच वर्ष के लिए पदधारण करेंगे, इससे अधिक नहीं। [धारा 9(1)]

परन्तु पदाधिकारी के उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता न रहने पर तथा/अथवा उसके राज्य विधान सभा या संसद के किसी सदन का सदस्य होने पर तत्काल दी अपने पद पर नहीं रह जायेगा। [धारा 20(2)]

**ग्राम पंचायत के कार्य**

- ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह, जहां तक ग्राम पंचायत निधि में गुंजाइश हो, अपने क्षेत्र के भीतर, निम्नलिखित कृत्य करें : [धारा 44]
  - (1) स्वच्छता, सफाई का रख-रखाव और न्यूसेन्स का निवारण एवं उपशमन;

तोनों  
जा

के  
तो  
पोघ्र,  
के  
गा।

जट  
श्या

गम  
नए  
र्ते।

त  
वा  
के  
ल  
॥

के  
में  
र,

र

- (2) सार्वजनिक कुओं, तड़ागों और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और रख—रखाव तथा घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराना;
- (3) नहाने तथा धोने और पालतू पशुओं को पीने के लिये जल उपलब्ध कराने हेतु जल के स्रोतों का सन्निर्माण और रखरखाव;
- (4) ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों, बाधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य सकर्मों तथा भवनों का सन्निर्माण और रखरखाव;
- (5) सार्वजनिक सड़कों, संडासों, नालियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सन्निर्माण, रखरखाव और उनकी सफाई;
- (6) उपयोग में न लाये जाने वाले कुओं, अस्वच्छ तड़ागों, खाइयों तथा गढ़दों को भरना और सीढ़ीदार कुओं (बावड़ियों) को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना;
- (7) ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना;
- (8) सार्वजनिक मार्गों या स्थानों और उन स्थलों में, जो निजी सम्पत्ति न हो या जो सार्वजनिक उपयोग के लिये खुले हों, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हो या राज्य सरकार के हों, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना;
- (9) मनोरंजनो, खेल तमाशों, दुकानों, भोजन

- गृहों और पेय पदार्थों, मिठाईयों, फलों, दूध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं का विनियमन और उस पर नियंत्रण;
- (10) मकानों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों तथा फलश शौचालयों के सन्निर्माण का विनियमन;
- (11) सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल का प्रबंध, विस्तार और विकास;
- (12) (क) शवों, पशु—शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन के लिये स्थानों का विनियमन;
- (ख) लावारिस शवों और पशु शवों का व्ययन;
- (13) कचरा इकट्ठा करने के लिये स्थानों का पृथक रक्षण;
- (14) मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन;
- (15) ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का रखरखाव;
- (16) काजी हाउस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना;
- (17) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव और चारागाहों तथा अन्य भूमियों का

- |  |  |
|--|--|
| फलों,<br>परस्तुओं<br>उस पर               | बनाया रखा जाना जो ग्राम पंचायत में<br>निहित या उनके नियंत्रणाधीन है;   |
| हों तथा<br>ग का                          | (18) सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक<br>मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की<br>स्थापना, प्रबंध और विनियमन;   |
| ग्राम<br>कास;<br>पादक<br>हों का          | (19) जन्म मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का<br>रखा जाना;  |
| हों का                                   | (20) जनगणना कार्य में और राज्य सरकार या<br>केन्द्रीय सरकार या विधि पूर्वक गठित<br>किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा<br>संचालित सर्वेक्षणों में सहायता करना;   |
| हों कं<br><br>का                         | (21) सांसर्गिक रोगों के रोकथाम में सहायता<br>करना;   |
| ब्राव;<br>और<br>रखा                      | (22) टीका लगाने और चेचक का टीका लगाने<br>में सहायता करना तथा मनुष्यों एवं<br>पशुओं की सुरक्षा के लिये ऐसे अन्य<br>निवारक उपायों को जो<br>संबंधित सरकारी विभागों द्वारा विहित<br>किये जाए, प्रवर्तित करने में सहायता<br>करना; |
| या<br>षित<br>सेक<br>त्रीन<br>ब्राव<br>का | (23) निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता<br>करना;  |
|  | (24) युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा<br>खेलकूद को बढ़ावा देना;  |
|  | (25) (क) जीवन तथा संपत्ति के सुरक्षा के<br>लिये;<br><br>(ख) आग की रोकथाम, आग बुझाने और<br>ऐसे आग लग जाने पर संपत्ति की सुरक्षा   |

करने के लिये रक्षा समिति की स्थापना  
करना;

- (26) वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण;
- (27) दहेज जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर  
करना;
- (28) (क) गंभीर तथा आपाती मामलों में  
निर्धन व्यक्तियों के लिये चिकित्सीय  
सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजन  
के लिये या  
(ख) निर्धन व्यक्तियों या उसके कुटुम्ब  
के किसी सदस्य की अन्त्येष्ठि करने के  
प्रयोजन के लिये, या  
(ग) किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु  
किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा  
कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर  
अधिसूचित किया जाए;  
ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन  
रहते हुये, जो विहित की जाए, उधार  
मंजूर करना;
- (29) (क) राज्य सरकार, कलेक्टर या इस  
संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत  
किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूचित  
जातियों और अनुसूचित जनजातियों  
तथा अन्य पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने  
के लिए उपायों के संबंध में, और विशेषतः  
अस्पृश्यता निवारण के संबंध में दिये गये  
या जारी किये गये निर्देशों या आदेशों  
का कार्यान्वयन;

ग्राम

पा ना	(ख) जनपद पंचायत के पूर्वानुमोदन से ग्राम पंचायत ऐसे अन्य कृत्य भी कर सकेगी जिनका किया जाना वह वांछनीय समझेगी;
क्षण; दूर	(ग) ऐसे कृत्य करना जो राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत, साधारण या विशेष आदेशों, द्वारा उसे सौंपे;
में तीय जन	परन्तु जहां ऐसे कोई कृत्य ग्राम पंचायत को सौंपे गये हैं वहां ग्राम पंचायत यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अभिकर्ता (मात्र लागू करने वाले) के रूप में कार्य करेगी और उस प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक निधियाँ और अन्य सहायता की व्यवस्था यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी।
इच्छा के	
हेतु सा पर	
ोन ार	ग्राम पंचायत की शक्तियाँ ●
स त त गो ने र: प्रे र्ण	<p>सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधाएँ और सुरक्षा के बाबत ग्राम पंचायत की शक्तियाँ [धारा 54]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) घृणोत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार, पशु वध तथा जल के उपयोग का विनियमन करने की शक्ति;</li> <li>(ii) स्वच्छता, सफाई, जन निकास, जन संक्रयों, जल प्रदाय स्रोतों का रखरखाव करने की शक्ति</li> <li>(iii) संरचनाओं तथा वृक्षों को हटाने तथा</li> </ul>

### मीटिंग

पर्यावरणीय नियंत्रण सुनिश्चित करने की शक्ति;

- (iv) कर्मशालाओं, कारखानों तथा अन्य औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना का विनियमन करने की शक्ति।
- (v) भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण की शक्ति।
- (vi) सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थानों पर रुकावटों, बाधाओं और अधिग्रहण से निपटने की शक्ति,
- (vii) मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति,
- (viii) बाजारों व मेलों का विनियमन,

गण-

- (i) ग्राम पंचायत मीटिंग प्रत्येक मास में कम से कम एक बार सरपंच द्वारा बुलाया जाएगा। [धारा 44 (4)]
- (ii) यदि सरपंच किसी महीने मीटिंग बुलाने में असफल रहा तो, ग्राम पंचायत का सचिव पिछले मीटिंग की तारीख से पच्चीस दिन पूरे होते ही संबंधित पंचायत के मीटिंग की सूचना जारी करेगा। [धारा 44 (4)]
- (iii) पंचायत के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य पंचायत के विशेष मीटिंग के लिए लिखित रूप से मांग कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में, सरपंच मांग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मीटिंग बुलायेगा। [धारा 44 (6)]

सभि

करने

अन्य

ा का

ा की

ों पर

ा से

ों पर

कम  
आया

गाने  
का  
से  
प्रत  
ा।

क  
ए  
र  
ने  
।

#### गण-पूर्ति :

#### समिति व्यवस्था :

(iv) ऐसे विशेष मीटिंग को बुलाने में यदि सरपंच असफल रहता है तो वे सदस्य जिन्होंने मीटिंग की मांग की है स्वयं मीटिंग बुला सकेंगे और ग्राम पंचायत का सचिव मीटिंग की सूचना जारी करेगा। [धारा 44 (6)]

- किसी मीटिंग के लिए गण-पूर्ति, उस समय पंचायत गठित करने वाले सदस्यों के आधे (50%) से होगी। [धारा 44 (3)]
- मीटिंग में गणपूर्ति न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी मीटिंग को अपने द्वारा नियत तारीख व समय के लिए स्थगित कर देगा तथा इस प्रकार स्थगित मीटिंग की सूचना पंचायत कार्यालय पर चिपका दी जायेगी। [धारा 44 (3)]
- इस प्रकार पुनः आयोजित मीटिंग के लिए कोई गण-पूर्ति आवश्यक न होगी तथा उसमें कोई नया विषय चर्चा के लिए नहीं लिया जायेगा। [धारा 44 (3)]
- ग्राम पंचायत अपने कार्यों तथा कर्तव्यों के निर्वाह के लिए अधिकतम तीन स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी। [धारा 46 (1)]
- ऐसी समितियाँ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाए। [धारा 46 (1)]
- कोई भी व्यक्ति, एक समय में, दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। [धारा 46 (2)]

- स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और स्थायी समिति के काम काज के संचालन की प्रक्रिया ऐसे होगी जो विदित की जाय। [धारा 46 (3)]
- अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुर्नविचार
- पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर उसके द्वारा छह मास के भीतर तब तक पुर्नविचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके तीन चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित सम्मति उस सम्बंध में प्राप्त नहीं की जाती।
- अथवा जब तक विहित अधिकारी उस पर पुर्नविचार करने के लिए निर्देश नहीं देता
- पंचायत निधि प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो 'पंचायत निधि' कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ इस निधि का भाग होंगी। [धारा 66 (1)]
- पंचायत निधि निकटतम् सरकारी खजाने या उप खजाने या डाकघर या सरकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखे जायेंगे।
- ग्राम पंचायत निधि से रकम केवल ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच या ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत किसी अन्य पंच के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही निकाली जायेगी। [धारा 66 (4)]
- ग्राम पंचायत, राज्य सरकार या विहित अधिकारी की पूर्व मंजूरी के आधीन, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के

वावधि  
ज के  
विदित

य से  
रा छह  
र नहीं  
तीन  
मम्मति  
गती।  
स पर  
देता  
करेगी  
और  
इस  
1)]  
जाने  
कारी  
गाखा

ग्राम  
ग्राम  
पंच  
गली

हित  
श्रीन्  
र्य के

#### बजट तथा वार्षिक लेखे

लिए सहायता—अनुदान दे सकती है।  
[धारा 68]

- प्रत्येक पंचायत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों तथा व्यय के बजट का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में निर्धारित रीति से निर्धारित तारीख तक तैयार करेगी। [धारा 73 (1)]
- यह प्रस्ताव निर्धारित अधिकारी द्वारा निश्चित रीति से अनुमोदित किए जायेंगे। [धारा 73 (2)]
- पंचायत द्वारा वार्षिक लेखे तथा प्रशासन रिपोर्ट निश्चित अधिकारी को निश्चित रीति में प्रस्तुत की जायेगी। [धारा 73 (3)]

**नोट** [वार्षिक लेखे तथा प्रशासन रिपोर्ट के ग्राम सभा भीटिंग में प्रस्तुत किए जाने का भी प्रावधान है]

गठन

## जनपद पंचायत

- प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी : [धारा 22]
  - (i) निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य
  - (ii) राज्य विधान-सभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र पुर्णतः या अंशतः खण्ड के भीतर पड़ते हैं;
  - (iii) यदि निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जातियों या जनजातियों का कोई सदस्य सम्मिलत नहीं है तो जनपद पंचायत ऐसे एक प्रतिनिधि को शामिल करेगी;
  - (iv) यदि निर्वाचित सदस्यों में सहकारी विपणन सोसाइटी या किसी सहकारी बैंक का संचालक सम्मिलत नहीं है तो जनपद पंचायत ऐसे एक संचालक को शामिल करेगी;
  - (v) यदि निर्वाचित सदस्यों में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अधीन गठित मण्डी समिति/समितियों का कोई सदस्य नहीं है तो विहत प्राधिकारी ऐसी समितियों के सदस्यों की मीटिंग निर्धारित रीति से बुलायेगा जिसमें जनपद पंचायत में प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य का निर्वाचन होगा।

उ

निर्वाचन की अधिसूचना  
तथा कार्यकाल

- जनपद पंचायत के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम निर्धारित, अधिकारी द्वारा निर्धारित रीति से प्रकाशित किए जाएंगे। [धारा 26]

। से  
। से  
या  
त  
य  
से  
मि  
तो  
०

### जनपद पंचायत के कार्य ●

- (i) जनपद पंचायत का प्रथम भीटिंग गजट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर किया जाएगा। जनपद पंचायत के पदाधिकारी प्रथम भीटिंग की तारीख से पांच वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, इससे अधिक नहीं। [धारा 27 (1) (2)]
- (ii) परन्तु पदाधिकारी खण्ड के भीतर ग्राम पंचायत के क्षेत्र के मतदाता न रहने पर तथा शामिल किए गए सदस्य उन समितियों के सदस्य न रहने की स्थिति में जिनकी सदस्यता के आधार पर वे जनपद पंचायत के सदस्य बने हैं, तत्काल अपने पद पर नहीं रह जाएगा। [धारा 27 (2)]
- जनपद पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह जहाँ तक जनपद पंचायत निधि में गुजाइश हो, खंड में निम्नलिखित कार्य के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था करे। [धारा 50(1)]
- (1) एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक सकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला युवा तथा बाल कल्याण, निःशक्तों और निराश्रितों का कल्याण और पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन तथा खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम;

- (2) आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आपत्तिक सहायता की व्यवस्था करना;
- (3) स्थानीय तीर्थ यात्राओं तथा त्योहारों के संबंध में व्यवस्था करना;
- (4) सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध करना;
- (5) सार्वजनिक बाजारों, सार्वजनिक मेलों तथा प्रदर्शनियों का प्रबंध करना; और
- (6) राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना;
- (7) जनपद पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर यथास्थिति सामुदायिक विकास खंड या आदिम जाति विकास खंड के प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगी और ऐसे खंडों को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कार्य तथा सौंपी गई स्कीमों का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर किये जाएंगे।  
[धारा 50(2)]
- (8) राज्य सरकार ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिस पर राज्य सरकार का कार्यपालिक प्राधिकार है या ऐसे अन्य कार्यों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गये हैं, जनपद पंचायत को सौंप सकेगी और जनपद पंचायत ऐसे कार्यों को करने के

दल,  
शांति  
रना;  
के  
ग;  
लों  
और  
के  
ग;  
के  
मास  
के  
पाण  
पार  
ई  
त  
के  
गा  
रा  
।

### मीटिंग

लिए बाध्य होगी। इन कार्यों का पालन करने के लिए जनपद पंचायत को आवश्यक शक्तियाँ होंगी। [धारा 51 (1)]

जनपद पंचायत उक्त सभी कार्य राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में करेगी। राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत को ऐसी राशि सनद की जाएगी जो इस धारा के अधीन जनपद पंचायत को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझी जाए।

जनपद पंचायत, उक्त कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन रहेगी और ऐसे निर्देशों का पालन करेगी जो समय-समय पर उसे दिये जाए। [धारा 51 (4)]

- जनपद पंचायत का मीटिंग प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बुलाया जायेगा। [धारा 44 (4)]
- यदि अध्यक्ष किसी मास मीटिंग बुलाने में असफल रहेगा तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी पिछले मीटिंग की तारीख से पच्चीस दिन पूरा होते ही संबंधित पंचायत के मीटिंग की सूचना जारी करेगा। [धारा 44 (4)]
- पंचायत के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्य विशेष मीटिंग के लिए लिखित रूप से मांग कर सकते हैं तथा ऐसी

स्थिति में अध्यक्ष, मांग प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मीटिंग बुलाएगा। [धारा 44 (4)]

#### समिति व्यवस्था

- ऐसे विशेष मीटिंग को बुलाने में यदि अध्यक्ष असफल रहता है तो वे सदस्य जिन्होंने मीटिंग की मांग की है स्वयं मीटिंग बुला सकेंगे और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मीटिंग की सूचना जारी करेगा। [धारा 44 (6)]
- प्रत्येक जनपद पंचायत अपने सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियाँ गठित करेगी। [धारा 47 (1)]

**सामान्य प्रशासन समिति** :-जनपद पंचायत या जिला पंचायत की स्थापना और सेवाओं, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजना, बजट, लेखे, कराधान और अन्य वित्तीय मामलों तथा उन विषयों से, जो किसी अन्य समिति को आबंटित कार्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधित समस्त विषयों के लिये।

**कृषि समिति** :-कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, कृष्यकरण जिसमें मृदा संरक्षण और समोच्चयबंधन (कंटूर बंडिंग) सम्मिलित है, के लिये और मत्स्यपालन, कम्पोष्ट खाद बनाने, बीज वितरण और कृषि एवं पशुधन विकास से संबंधित अन्य विषयों के लिये।

**शिक्षा समिति** :- शिक्षा के लिये जिसमें प्रौढ़ शिक्षा, सम्मिलित है, निःशक्तों तथा

सात  
एगा।

यदि  
दर्श्य  
स्वयं  
लक  
जारी

प्रो में  
ठित

नपद  
पना  
मीण  
रेखे,  
तथा  
मेति  
प्राते  
।

द्युत  
क्षण  
लेत  
अष्ट  
एवं  
यों

त्वे  
था

निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओला वृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत के लिए और मद्यत्याग या मद्यनिषेद, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण के लिये;

संचार तथा संकर्म समिति:- संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण जल उपलब्धता, जल निकास और अन्य लोक संक्रमों के लिये;

सहकारिता और उद्योग समिति:- सहकारिता, भितव्ययिता और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी के लिये।

उक्त पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त, जनपद पंचायत या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से किन्हीं ऐसे अन्य विषयों के लिए, जो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट नहीं है, एक या अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी।

सामान्य प्रशासन समिति में अन्य सभी स्थायी समितियों के समाप्ति होंगे।  
[धारा 47 (3)]

सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे जो यथार्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में

से विहित रीति में, निर्वाचित किये जाएंगे।  
[धारा 47 (4)]

अंतिम रूप से निपटाए  
गए विषय पर पुनर्विचार

- पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर उसके द्वारा छह मास के भीतर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके तीन चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित सम्मति उस सम्बंध में प्राप्त नहीं की जाती। [धारा 45]
- अथवा जब तक विहित अधिकारी उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश नहीं देता
- प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो 'पंचायत निधि' कहलाएगी और जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ इस निधि का भाग होंगी। [धारा 66 (1)]
- पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने या उप खजाने या डाकघर या सरकारी बैंक या अनुसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखे जायेंगे। [धारा 66 (2)]
- जनपद पंचायत निधि से रकम केवल मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सरकारी) और अध्यक्ष या जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही निकाली जायेगी। [धारा 66 (5)]
- जनपद पंचायत, राज्य सरकार या विहित अधिकारी की पूर्व मंजूरी के आधीन, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिए सहायता—अनुदान दे सकती है। [धारा 68]

जाएंगे।

से

। छह

नहीं  
तीन

उस  
45]

पर  
देता

रेगी  
पद  
इस

ने

क  
खे

य  
र  
न  
रे

## ग्राम, जनपद व ज़िला पंचायतों का नियंत्रण व विघटन

### पंचायत के कार्यों का निरीक्षण

- (i) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्हें इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो, पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण कर सकेंगे। [धारा 84 (1)]
- (ii) पंचायत के पदाधिकारी, अधिकारी तथा सेवक ऐसी समस्त जानकारी देने तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगे जाये। [धारा 84 (3)]
- (iii) समय-समय पर राज्य सरकार किन्हीं अधिकारियों द्वारा किसी पंचायत की जांच करवा सकती है। [धारा 88]

### आदेशों का क्रियान्वयन या निलम्बन

- [धारा 85 (1)] राज्य सरकार या उसके द्वारा निर्धारित अधिकारी पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प, जारी किए गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञाप्ति या अनुज्ञा के क्रियान्वयन को निलम्बित या पंचायत द्वारा किसी कृत्य के पालन को रोक सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा।
- (i) वैध रूप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है;
- (ii) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे या किसी कानून के प्रतिकूल है;
- (iii) कार्य किए जाने पर

- पंचायत में निहित किसी धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होना, या उसमें निहित किसी सम्पति को नुकसान होना संभव है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है।
- जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना सम्भाव्य है।
- शांति भंग होना सम्भाव्य है।

इस प्रकार का निलम्बन या रोक कारण सहित लिखित आदेश जारी कर के की जायेगी। उस आदेश की एक प्रति, कारणों के कथन सहित वह अधिकारी राज्य सरकार को भेजेगा तथा राज्य सरकार उसकी पुष्टि कर सकेगी, उसे रद्द कर सकेगी या उसमें परिवर्तन कर सकेगी। [धारा 85 (2)]

#### पंचायत का विघटन

- [धारा 87 (1)] यदि किसी समय राज्य सरकार या विहित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पंचायत :
  - (i) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या उस समय प्रदत्त किसी अन्य कानून के तहत निश्चित किए कर्तव्यों का पालन करने में बार-बार असफल रही है,
  - (ii) अपनी शक्तियों के परे कार्य करती है या शक्तियों का दुरुपयोग करती है;
  - (iii) राज्य सरकार के किसी सक्षम अधिकारी के

ी की  
ा, या  
को

या  
इना

ी या  
तेना

हेत  
उस  
हेत  
था  
उसे  
उर

उर  
है

म  
त  
ै

।

किसी आदेश का पालन नहीं करती है; तो राज्य सरकार या विहित अधिकारी ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा ऐसी पंचायत को विघटित कर सकेगा और उसे नए सिरे से गठित करने के लिए आदेश दें सकेगा। उक्त आधार पर विघटन और पुनर्गठन का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पंचायत को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

### विघटन के परिणाम

[धारा 87 (2)] (i) समस्त पदाधिकारी ऐसे आदेश की तारीख से अपने अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ii) पंचायत की समस्त शक्तियों तथा उसके कर्तव्यों का, पंचायत का पुनर्गठन होने तक प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करे और जहां व्यक्तियों की कोई समिति इस प्रकार नियुक्त की जाती है, वहां राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी समिति का प्रधान भी नियुक्त करेगा;

(iii) विघटित पंचायत का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन उसके विघटन के छह मास के भीतर किया जाएगा, ऐसी पुनर्गठित पंचायत उस पंचायत की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी।

## पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था

### पंचायत निधि

- राज्य सरकार पिछले वर्ष प्राप्त भू-राजस्व के बराबर रकम इस निधि में जमा करेगी। [धारा 76 (2)]
- निम्न प्रावधानों से प्राप्त आय भी उक्त निधि में जमा होगी :—
  - (i) प्रति रुपया 50 पैसे की दर से भूमि पर उपकर। [धारा 74 (1)]
  - (ii) स्थायी संपत्ति के बिक्री, दान या बंधक पर “स्टैम्प फीस” की दर में 1% की वृद्धि। [धारा 75]
  - (iii) कृषि भूमि पर विकास कर। [धारा 77 (3)]

### निधि का बंटवारा

- [धारा 76 (4)]
- (i) भू-राजस्व से प्राप्त धनराशि समस्त पंचायतों को।
  - (ii) अतिरिक्त “स्टैम्प फीस” से प्राप्त राशि जनपद पंचायतों को।
  - (iii) भूमि उपकर द्वारा प्राप्त राशि जनपद पंचायतों को एवं ग्राम पंचायतों को।
  - (iv) कृषि भूमि पर विकास कर द्वारा प्राप्त राशि संबंधित जनपद पंचायत तथा उसके अंदर के पंचायतों की बीच विदित अनुपात में।

### अनिवार्य कर

[धारा 77 (1)/अनुसूची-1 (क)]

### ग्राम पंचायत

- (1) सरकारी, सार्वजनिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक प्रायोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भवन तथा भूमियों को

जस्य के  
करेगी।

उक्त

मि पर  
क पर  
वृद्धि।

’ (3)]

यतों

राशि

यतों

गशि  
र के

था  
में  
को

#### वैकल्पिक कर

छोड़कर उन सभी भूमियों और भवनों पर ग्राम पंचायत कर लगा सकती है जिनका पूंजी मूल्य 6,000/- रुपये से अधिक हो।

- (2) ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई वृत्ति या व्यापार करने वाले या आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों पर कर।
- (3) उन व्यक्तियों पर कर, जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किसी बाजार या भवन में दुकान लगाते हैं।
- (4) ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेचे जाने वाले पशुओं पर रजिस्ट्रेशन की फीस।
- (v) अगर ग्राम पंचायत सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था करे तो इन पर कर।

#### जनपद पंचायत

(1) मनोरंजन कर [धारा 77 (1)/अनुसूची-1ख] अगर ग्राम पंचायत चाहे तो निम्नलिखित पर भी कर लगा सकती है:

[धारा 77 (2) अनुसूची- 2क]

- 1) पशुओं पर (बैल, कुत्ते, सुअर इत्यादि)
- 2) किराए पर चलाए जाने वाली गाड़ियों पर
- 3) सराय, धर्मशाला आदि के उपयोग कर
- 4) जल—कर
- 5) जल निकास पर फीस
- 6) मण्डी में काम करने वालों पर
- 7) मोटर यानों से भिन्न यानों पर
- 8) लोकोपयोगिता के कामों पर

- 9) सार्वजनिक शौचालय पर
  - 10) बैलगाड़ी एवं घोड़ागाड़ी स्टैण्ड पर फीस
  - 11) सार्वजनिक स्थानों में अस्थायी निर्माणों पर
  - 12) चारागाही फीस
  - 13) कोई भी अन्य कर जिसके लिए राज्य विधान मंडल को शक्ति प्राप्त है।
- ऊपर दिये गए विषयों पर कर लागू करने में जनपद पंचायत का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। [धारा 77 (2)]
- जनपद पंचायत चाहे तो उसके निहित या उसके द्वारा अनुरक्षित भूमियों या अन्य संपत्तियों के उपयोग कर लगा सकती है।

**राज्य सरकार की शक्ति**

1. अनिवार्य एवं वैकल्पिक दोनों ही प्रकार के करों को लागू करने, मूल्य तय करने और वसूल करने तथा हिस्सा बांटने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकेगी। [धारा 78]
2. राज्य सरकार को किसी कर को समाप्त करने, रकम या दर को निलम्बित या कम करने की शक्ति होगी [धारा 83 (1)]
3. राज्य सरकार, पंचायत को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति को उसके ऊपर लगाए गए कर से पूर्णतः या अंशतः छूट प्रदान कर सकेगी। [धारा 83 (2)]

## सरपंच व उप-सरपंच

फीस  
पों पर

राज्य

करने  
देन

या  
अन्य  
ती

गर  
ने  
के

।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरपंच तथा एक उप-सरपंच होगा। कोई भी व्यक्ति जो पंच के लिए चुने जाने योग्य है, संसद के किसी भी सदन या विधान सभा का सदस्य नहीं है तथा किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति नहीं है, सरपंच के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम ग्राम पंचायत मतदाता सूची में हैं, उस रीति से चुना जायेगा जो विहित की जाय। उप-सरपंच का चुनाव साधारण निर्वाचन के बाद बुलाए गए निर्वाचित पंचों के मीटिंग के दौरान किया जायेगा। [धारा 17 (1)]

### आरक्षण

- एक खण्ड के भीतर की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों के उतनी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जायेंगे जिनका अनुपात खण्ड के कुल सरपंचों की संख्या के साथ वही होगा जो उस खण्ड में उक्त जातियों की जनसंख्या का खण्ड की कुल जनसंख्या के साथ होगा। [धारा 17 (2)]
- एक खण्ड में जहां अनुसूचित जातियों व जनजातियों की जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम है, वहां खण्ड के भीतर ग्राम पंचायत सरपंच के कुछ पदों के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। [धारा 17 (2)]
- खण्ड के भीतर सरपंच के रथानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। [धारा 17 (3)]
- यदि ग्राम पंचायत का सरपंच अनुसूचित

जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग का नहीं है तो उप-सरपंच उक्त श्रेणियों में से ही निर्वाचित किया जाये गा।  
[धारा 17 (6)]

### अविश्वास का प्रस्ताव

- उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों के तीन चौथाई बहुमत से, जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह सरपंच या उप-सरपंच जिसके विरुद्ध, ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा। [धारा 21 (1)]
- कोई सरपंच या उप-सरपंच उस मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ऐसा मीटिंग ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा, जो विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे, यथास्थिति सरपंच या उप-सरपंच को उस मीटिंग की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। [धारा 21 (2)]
- किसी सरपंच या उप-सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव—
  - (i) उस तारीख से जिसको वह सरपंच या

। नहीं  
में से  
गा ।

पंचो  
नमय  
पंचो  
धेक  
का  
कर  
पंच  
रेत  
मने  
।)]  
ग्रा के  
ती मैं ग्री हो  
।

उप—सरपंच पद ग्रहण करता है, एक वर्ष  
के भीतर;

- (ii) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति उस  
सरपंच या उप—सरपंच की पदावधि का  
अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की  
कालावधि के भीतर;
- (iii) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास  
प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, एक वर्ष  
की कालावधि के भीतर, नहीं लाया  
जाएगा ।

## जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

प्रत्येक जनपद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष के लिए चुने जाने योग्य है, संसद के किसी सदन या विधान सभा का सदस्य नहीं है तथा किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं है, अध्यक्ष के रूप में उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम ग्राम पंचायत मतदाता सूची में हैं और निर्वाचित हैं, उस रीति से चुना जाएगा जो विहित की जाए। उपाध्यक्ष का चुनाव साधारण निर्वाचन के बाद बुलाए गए निर्वाचित सदस्यों की मीटिंग के दौरान किया जाएगा।

### आरक्षण

- जनपद पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा और जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात उस जिले में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो उस जिले में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है : [धारा 25 (2)]
- जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों की संख्या के कम से कम एक तिहाई ( $1/3$ ) पद, महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। [धारा 25 (2)]
- ऐसे जनपद पंचायतों को, जहां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं है, यथास्थिति ऐसी जातियों या जनजातियों के अध्यक्ष के पदों का

आ

व्यक्ति जो  
धान सभा  
पापति या  
नाम ग्राम  
आजाएगा  
द बुलाए

का पद  
नुसूचित  
रखा  
जातियों  
लिए  
या का  
की कुल  
गा जो  
सूचित  
गों की  
संख्या

की  
हाई  
क्षित

गति,  
वेत  
मण  
या  
का

#### अविश्वास का प्रस्ताव

आरक्षण करने के लिए वर्जित किया  
जाएगा। [धारा 25 (2)]

- जिले में जहां अनुसूचित जातियों और<sup>1</sup> अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित<sup>2</sup> जनसंख्या पचास प्रतिशत से कम है, वहां<sup>3</sup> जिले के भीतर जनपद पंचायतों के<sup>4</sup> अध्यक्षों में से पच्चीस प्रतिशत पद अन्य<sup>5</sup> पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए<sup>6</sup> जाएंगे। [धारा 25 (2)]

- यदि किसी जनपद पंचायत का अध्यक्ष<sup>7</sup> अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति<sup>8</sup> या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है तो<sup>9</sup> उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों<sup>10</sup> या ऐसे वर्गों में से निर्वाचित किया<sup>11</sup> जाएगा। [धारा 25 (4)]

- उपस्थित तथा मतदान करने वाले<sup>12</sup> सदस्यों से तीन-चौथाई से अन्यून ऐसे<sup>13</sup> बहुमत से जो तत्समय जनपद पंचायत<sup>14</sup> का गठन करने वाले सदस्यों की कुल<sup>15</sup> संख्या के दो तिहाई से अधिक है, पारित<sup>16</sup> संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव<sup>17</sup> जनपद पंचायत द्वारा पारित कर दिया<sup>18</sup> जाने पर, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके<sup>19</sup> विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता<sup>20</sup> है, तत्काल अपने पद पर नहीं रह<sup>21</sup> जाएगा। [धारा 28(1)]

- कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस मीटिंग<sup>22</sup> की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके<sup>23</sup> विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की

जाती है। ऐसा मीटिंग ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा जो विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसी अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस मीटिंग की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। [धारा 28(2)]

- **अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव-**
  - (i) उस तारीख से जिसको वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद ग्रहण करता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर;
  - (ii) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर;
  - (iii) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जाएगा। [धारा 28(3)]

रीति में  
विहित की  
रकार के  
जो जाएगी  
त करे।  
को उस  
जने या  
होगा।

इ कोई

प्रक्ष या  
वर्ष की

ते उस  
मे का  
प की

वास  
वर्ष  
गया

## जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

प्रत्येक जिला पंचायत में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। कोई भी व्यक्ति जो अध्यक्ष के लिए चुने जाने योग्य है, संसद के किसी भी सदन या विधान सभा का सदस्य नहीं है, तथा किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं है, अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उस रीति से चुना जायेगा, जो विहित की जाए। उपाध्यक्ष का चुनाव साधारण निर्वाचन के बाद बुलाए गए सदस्यों की मीटिंग के दौरान किया जाएगा। [धारा 32]

### आरक्षण

- अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो राज्य में यथास्थिति अनुसूचित जातियों या जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। [धारा 32 (2)]
- जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक- तिहाई  $(1/3)$  पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। [धारा 32 (2)]
- राज्य के भीतर जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पदों में से पच्चीस प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। [धारा 32 (2)]
- यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित

जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जन जातियों या वर्गों के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। [धारा 32 (4)]

#### अविश्वास का प्रस्ताव

- उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से जो तत्समय जिला पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव जिला पंचायत द्वारा पारित कर दिया जाने पर, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा। [धारा 35 (1)]
- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस मीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। ऐसा मीटिंग ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा, जैसा कि विहित है और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित अधिकारी नियुक्त करे। यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस मीटिंग की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। [धारा 35 (2)]

रि

तियों या  
उपाध्यक्ष  
या वर्गों  
किया

वाले  
न् न ऐसे  
गत का  
संख्या  
पारित  
स्ताव  
दिया  
अध्यक्ष,  
केया  
पर

नाए  
के  
ग्रक्ष  
गा  
व  
नी  
के  
र  
ो  
।

- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव—
  - (i) उस तारीख से जिसको वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद ग्रहण करता है, एक वर्ष के भीतर;
  - (ii) उस तारीख से, जिसको यथास्थिति उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के भीतर;
  - (3) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं लाया जाएगा। [धारा 35 (3)]

### पंचायत में रिक्तियों, निलम्बन इत्यादि से संबंधित

रिक्तियों का भरा जाना ●

किसी पदाधिकारी की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने या उसके हटा दिये जाने या उसके राज्य विधान सभा या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकर्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति निर्वाचन या सहयोजन द्वारा शीघ्र भरी जाएगी। रिक्ति को भरने के लिए यथास्थिति निर्वाचित, या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अन्वसित

अवधि के लिए ऐसा पद तत्काल धारण करेगा। [धारा 38(1)]

- किसी ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच, किसी जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में एक ही समय पर आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में यथास्थिति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नवीन सरपंच या अध्यक्ष निर्वाचित होने तक किसी ऐसे पदाधिकारी को जो सरपंच/अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अर्हित है, यथास्थिति सरपंच/अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी। [धारा 38(2)]

पंचायत के पदधारी का निलम्बन

- विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदधारी को पद से निलम्बित कर सकेगा—
  - (i) जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 [1860 का सं045] के अध्याय 5—क, 6, 9—क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा 302, 303, 304—ख, 305, 306, 312 से 318 तक, 366—क, 366—ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408, 409, 458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार, दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी भी

पंच  
का

धारण

तथा  
गत या  
गाध्यक्ष  
स्मिक  
स्थेति  
जेला  
रनाए  
व या  
ऐसे  
का  
है,  
में  
को

॥  
५.  
३  
२  
१  
०

- विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विचरित किये गये हैं; या
- (ii) जिस पर इस अधिनियम के अधीन उसे पद से हटाये जाने के लिए कारण बताओ सूचना, आरोप पत्र के साथ, तामील की गई है। [धारा 39(1)]
- उक्त धारा के अधीन दिए गए निलम्बन आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को दस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी और वह ऐसे आदेशों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो राज्य सरकार पारित करना उचित समझे। यदि निलम्बन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निष्प्रभावी कर दिया गया समझा जाएगा। [धारा 39(2)]
  - कोई व्यक्ति जिसे धारा 39 के उपधारा (1) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, किसी ऐसी अन्य पंचायत के सदस्य पद से भी तत्काल निलम्बित हो जाएगा जिसका कि वह सदस्य या पदधारी है। ऐसा व्यक्ति, अपने निलम्बन के दौरान, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन, सहयोजन या नियुक्ति के लिए भी निरहित होगा। [धारा 39(4)]
- पंचायत के पदाधिकारियों ●  
का हटाया जाना**
- राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, किसी पदाधिकारी को, किसी भी समय हटा सकेगा—

(i) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है;

(ii) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है

परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसे उसके पद से क्यों न हटा दिया जाए। [धारा 40(1)]

- कोई व्यक्ति जिसे धारा 40 के उपधारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन, सहयोजन या नियुक्ति के लिए भी छह वर्ष की कालावधि के लिए निरहित हो जाएगा। [धारा 41 (2)]

#### एक से अधिक पद धारण करने के वर्जन

यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में से अधिक पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वह विहित प्राधिकारी को, उनमें से कोई एक पद धारण करने के बारे में, ऐसे निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, लिखित में सूचना देगा। यदि ऐसी सूचना उक्त कालावधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि वह, शेष पदों को अपवर्जित करते हुए, एक ही पद निम्नलिखित पूर्विकर्ता क्रम में धारण करता है:-

- (i) जिला पंचायत का सदस्य
- (ii) जनपद पंचायत का सदस्य
- (iii) ग्राम पंचायत का सरपंच
- (iv) ग्राम पंचायत का पंच [धारा 41]